सत्र प्रकरण क्रमांक 75 /2022
छ.ग. राज्य बनाम निखिल पाण्डेय
CNR No.CGJC01002124-2022

फार्म–एफ

S.No.	Description	Page No.
1.	निर्णय का शीर्षक	1
2.	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	1
3.	आरोप	2
4.	अभियोजन कहानी	4-5
5.	प्रकरण के विचारणीय प्रश्न	6-7
6.	विवेचना, कारण और निष्कर्ष	7-13
7.	दोषसिद्धी/दोषमुक्ति	13
8.	दंडादेश	–
9.	आरोपीगण की निरूद्ध अवधि और मुजरा (set off)	13
10.	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	13

Sd/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

फार्म–डी

न्यायालयः–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती पल्लवी तिवारी)
[निर्णय दिनांक 16/10/2024 को घोषित] **सत्र प्रकरण क्रमांक –75 /2022** (आरक्षी केन्द्र चॉपा अपराध क्रमांक 285/2022) धारा–294, 506 बी, 307 (दो बार)भा.द.सं.एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट संस्थित दिनांक **07.10.2022**

अभियोजन	–	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– आरक्षी केन्द्र चॉपा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
राज्य की आ ेर से	–	अपर लोक अभियोजक श्री **चंद्रप्रताप सिंह**
	//विरूद्ध//	
अभियुक्त	–	निखिल पाण्डेय पिता लोचन प्रसाद पाण्डेय, उम्र 20 वर्ष, साकिन शंकर नगर चॉपा, थाना चॉपा, जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से–	–	श्री एस.एस.चंदेल अधिवक्ता ।

ई

घटना दिनांक	–	27.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक		28.06.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक		12.09.2022
आरोप विरचित दिनांक		15.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि		09.01.2023
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक		16.10.2024
निर्णय दिनांक		16.10.2024
दंडित करने की तिथि, यदि कोई हो		–

आरोपी का विवरण

क्रं0	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक	आरोपित धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01	निखिल पाण्डेय पिता लोचन प्रसाद पाण्डेय, उम्र 20 वर्ष, साकिन शंकर नगर चॉपा, थाना चॉपा, जिला जांजगीर-चॉपा (छ.ग.)	28.06.2022	23.09.2022	294, 506 भाग-2, 307 (2 बार) भा.दं.सं.एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम	**दोषमुक्त**		28.06..2022 से 23.09.2022 तक कुल 88 दिवस

-निर्णय-

(आज दिनांक 16/10/2024 को घोषित)

01- आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग-2, 307(दो बार) भा.द.सं. एवं धारा 25(1)(1-ख)(ख)एवं 27(2) आयुध अधिनियम के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 27.06.2022 के समय करीब 11.30-12.00 बजे स्थान शंकर नगर तहसील रोड चॉपा, थाना चॉपा, जिला जांजगीर-चॉपा मे प्रार्थी सागर अग्निहोत्री के प्रति सार्वजनिक स्थान मे अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थी सागर अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं लोहे के तलवार एवं डंडे से मारपीट कर प्रार्थी सागर अग्निहोत्री की एवं आहत राजकुमारी को कार से ठोकर मारकर हत्या करने का प्रयत्न किया ।

02– अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) द्वारा दिनांक 28.06.2022 को थाना चॉपा मे रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 27.06.2022 को रात्रि करीब 11.30–12.00 बजे वह अपने घर मे था तथा उसकी मॉ राजकुमारी घर मे टी वी देख रही थी एवं उसके पिताजी चॉपा पी.आई.एल.चॉपा डियूटी पर गये थे । उसी समय मोहल्ले का विधि से संघर्षरत बालक पुरानी रंजिश को लेकर बम फटाखा उसके घर के अंदर फेका, जिसे देखकर वह बाहर निकला । तब विधि से संघर्षरत बालक का बडा भाई वेगन आर कार के ड्रायविंग सीट मे बैठा था और कार को चालू रखा था । आरोपी निखिल पाण्डेय ने प्रार्थी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) को आज बताता हूॅ कहते हुए कार से उसे दबाने के लिए कार आगे बढाया तब वह साइड हो गया, आरोपी ने पुनः कार को उसे दबाने के लिए आगे बढाया, तब विधि से संघर्षरत बालक ने अश्लील गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसे सुनकर प्रार्थी की मॉ राजकुमारी (अ.सा.2) बाहर निकली और लडाई झगडा करने से मना किया तब आरोपी निखिल पाण्डेय अपने वेगन आर को तेजी से चलाते हुए उसकी मॉ राजकुमारी को जोर से ठोकर मार दिया, जिससे प्रार्थी की मॉ जमीन मे गिर गयी । उसी समय विधि से संघर्षरत बालक ने डंडे से प्रार्थी के सिर मे मारा और आरोपी निखिल पाण्डेय अपने गाडी से उतरकर तलवार लेकर प्रार्थी के सिर व बांये हाथ मे मार कर चोट पहुॅचाई, तथा प्रार्थी की मॉ राजकुमारी (अ.सा.2) को गाडी से ठोकर लगने पर पैर व नाक मे चोट आयी तथा सीना, पेट व

पैर मे गाडी के सिलेण्डर से जली है । इसके बाद दोनो आरोपी वहां से भाग गये । प्रार्थी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) के उक्त सूचना के आधार पर थाना चॉपा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.1) दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान प्रार्थी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) तथा आहत राजकुमारी (अ.सा.2) का चिकित्सीय परीक्षण कराकर प्रतिवेदन तथा क्वेरी रिपोर्ट (प्र.पी.16, प्र.पी.17,प्र.पी.18) प्राप्त किया गया । विवेचना के दौरान घटनास्थल का पटवारी नक्शा व पंचनामा (प्र.पी.2) प्राप्त किया गया । विवेचना के दौरान आरोपी का मेमोरंडम कथन (प्र.पी.10) के आधार पर अपराध मे प्रयुक्त लोहे का तलवार एवं कार (प्र.पी.12) जप्त किया गया । प्रकरण मे जप्तशुदा प्रदर्शो को रसायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोग शाला बिलासपुर को भेजा गया । आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अभियोजन साक्षियो के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र उपार्पण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, प्रकरण विधिवत न्यायालय सत्र न्यायाधीश जांजगीर को उपार्पित किया गया, तत्पश्चात् विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

03- आरोपी के विरुद्व धारा 294,506 भाग-2, 307(दो बार) भा.द.सं. एवं धारा 25(1)(1-ख)(ख)एवं 27(2) आयुध अधिनियम से दण्डनीय आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया। आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

04- अभियोजन की ओर से साक्षी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.-1), आहत

राजकुमारी (अ.सा.–2), राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.–3), लखन दुबे (अ.सा.–4),राजकुमार कश्यप (अ.सा.–5), गोविंद यादव (अ.सा.–6), रोशन सिंह (अ.सा.–7), गोविंद कुर्रे (अ.सा.–8), रमेश कुमार सिंह (अ.सा.–9), डॉ.प्रफुल्ल चौहान (अ.सा.–10),डॉ.सरिता नागरची (अ.सा.–11), अविनाश यादव (अ.सा.–12) एवं मोहम्मद सलीम (अ.सा.–13) का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है।

05– द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत आरोपी का कथन लिया गया। आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाने का कथन किया है, और अपने पक्ष समर्थन में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया है।

06– प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है किः–

1– क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने प्रार्थी सागर अग्निहोत्री के प्रति सार्वजनिक स्थान पर मॉ बहन की अश्लील गाली गलौच कर आहत तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित ?

2– क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

3– क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने प्रार्थी सागर अग्निहोत्री को लोहे के तलवार एवं डंडे से मारकर तथा आहत राजकुमारी को कार से ठोकर मारकर हत्या करने का प्रयत्न किया ?

4– क्या आरोपी ने घटना दिनांक को सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित हथियार लोहे की तलवार अपने आधिपत्य मे रखा?

5– क्या आरोपी ने घटना दिनांक को सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित हथियार तलवार अपने आधिपत्य मे रखकर उसका उपयोग

प्रार्थी सागर अग्निहोत्री की हत्या का प्रयत्न कारित करने मे किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 :-

07- तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने एवं साक्ष्य का क्रमबंधन बनाये रखने के लिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

08- अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 27.06.2022 को आरोपी ने विधि के साथ संघर्षरत बालक के साथ मिलकर पुरानी रंजिश होने से प्रार्थी सागर अग्निहोत्री और उसकी मॉ राजकुमारी को हत्या करने के आशय से कार से ठोकर मारकर उपहति कारित की तथा धारदार प्रतिबंधित आयुध तलवार से चोटें पहुॅचाकर उपहति कारित की ।

09- साक्षी सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार सिंह (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 28.06.2022 को प्रार्थी सागर अग्निहोत्री द्वारा थाना चॉपा मे मौखिक सूचना दिये जाने पर इसने आरोपी के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था । साक्षी/आहत सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) ने कथन किया है कि आरोपी रात को 11-12 बजे इसके घर आया था तब आरोपी के साथ इसका वाद विवाद हुआ था, उसी समय नीचे गिरने से इसे सिर मे चोट लगी थी और आरोपी जब अपनी कार को पीछे कर रहा था, उसी समय इसकी मॉ घर से निकली तब इसकी मॉ का पैर कार के पिछले चक्के मे आ गया था, जिससे इसकी मॉ का पैर टूट गया था । इसने इस घटना की रिपोर्ट थाने मे दर्ज करायी थी ।

10- साक्षी सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार सिंह (अ.सा.9) का कथन है

कि इसने दिनांक 28.06.2022 को आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल चॉपा तहरीर प्र.पी.13 एवं प्र.पी.14 के साथ भेजा था । साक्षी डॉ.सरिता नागरची (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 28.06.2022 को आहत सागर अग्निहोत्री का परीक्षण करने पर इसने आहत के सिर के बीचो बीच लेसरेटेड उण्ड 3 से.मी.लंबा तथा आधा से.मी.से कम गहरी और चोट के दोनो किनारे नुकीले तथा आहत के सिर के पीछे भाग पर लेसरेटेण्ड उण्ड जिसकी लंबाई 2 से.मी.x आधा से.मी.से कम गहरा और चोट का दोनो किनारा नुकीला था । आहत के बांये हाथ मे लेसरेटेड इंजूरी जिसकी लंबाई 2 से.मी., जिसका दोनो किनारा नुकीला था । इसने आहत को आयी चोट कडे और भोथरे वस्तु से आने का कथन किया है और आहत सागर अग्निहोत्री का परीक्षण कर दी गयी रिपोर्ट प्र.पी.16 पर अपना हस्ताक्षर होना बताकर इसे प्रमाणित किया है ।

11- साक्षी डॉ.सरिता नागरची (अ.सा.11) का कथन है कि आहत राजकुमारी अग्निहोत्री का परीक्षण करने पर उसके दाहिने घुटने मे लेसरेटेड उण्ड, जिससे काफी खून बह रहा था और दाहिने जांघ पर खरोच के निशान तथा आहत की नाक मे दाहिने तरफ कटी हुई चोट पायी थी । इसने आहत राजकुमारी को आयी चोट कडे और भोथरे वस्तु से आने का कथन किया है और अग्रिम ईलाज हेतु जिला अस्पताल जांजगीर रिफर करना बताया है। इसने आहत का परीक्षण कर दी गयी रिपोर्ट प्र.पी.17 पर अपना हस्ताक्षर होना बताकर इसे प्रमाणित किया है ।

12- साक्षी डॉ.प्रफुल्ल चौहान (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 28.06.2022 को आहत राजकुमारी अग्निहोत्री ईलाज हेतु भर्ती हुई थी, तब इसने आहत का ईलाज करने

पर पाया था कि आहत के दाहिने पैर मे सूजन एवं दर्द तथा टॉका लगा हुआ घाव घुटने के नीचे और दाहिने पैर मे जला हुआ घाव तथा सीने मे छिला हुआ घाव होना पाया था । इसने आहता को दाहिने पैर के एक्सरे कराने की सलाह दिया था । इसने आहत का दिनांक 28.06.2022 से 20.07.2022 तक जिला अस्पताल जांजगीर मे भर्ती रहने का कथन किया है और आहत को दिनांक 20.07.2022 को उसके निवेदन पर डिस्चार्ज करना बताया है।

13- साक्षी पटवारी रोशन सिंह (अ.सा.7) का कथन है कि तहसीलदार चॅापा के निर्देश पर उसने घटनास्थल का नजरी नक्शा साक्षी सागर अग्निहोत्री के बताये अनुसार तैयार किया था । इसने नजरी नक्शा प्र.पी.2 पर अपना एवं आहत सागर अग्निहोत्री का हस्ताक्षर होना बताया है । साक्षी सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) ने भी घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.2 पर अपना हस्ताक्षर होने का कथन किया है ।

14- अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटनास्थल से खून लगी तथा सादी मिटटी और कंगन तथा चूडी के टूटे हुए टुकडे तथा मेक्सी का जला फटा हुआ टुकडा एवं आरोपी के मेमोरंडम कथन के आधार पर उससे सफेद रंग का वेगन-आर मारुती सूजूकी कार और लोहे की एक तलवार जप्त की गयी है । उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से विवेचनाधिकारी भुनेश्वर प्रसाद तिवारी को केंसर रोग से पीडित होने के कारण उसका साक्ष्य लेखबद्व नहीं कराया गया है ।

15- अभियोजन के उपरोक्त मेमोरंडम एवं जप्ती कार्यवाही के साक्षियों की साक्ष्य का विश्लेषण करने से यह दर्शित होता है कि साक्षी गोविंद यादव (अ.सा.6) तथा गोविंद कुर्रे

(अ.सा.8) ने मेमोरंडम कथन प्र.पी.10 और जप्ती पत्रक प्र.पी.11 और प्र.पी.12 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । लेकिन इसके समक्ष पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही करने से इंकार किया है । अभियोजन ने साक्षी गोविंद यादव (अ.सा.6) तथा गोविंद कुर्रे (अ.सा.8) को पक्षद्रोही घोषित कर सुझाव दिये जाने पर भी इसने आरोपी के कब्जे से इसके समक्ष वाहन वेगनआर कार एवं लोहे की तलवार जप्त होने से इंकार किए हैं ।

16- इसी प्रकार साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3) तथा साक्षी लखन दुबे (अ.सा.4) तथा साक्षी अविनाश यादव (अ.सा.12) ने जप्ती पत्रक प्र.पी.5 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किये हैं परंतु साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3) तथा साक्षी लखन दुबे (अ.सा.4) ने उनके समक्ष क्या जप्त हुआ था, इस संबंध मे मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे कोई कथन नहीं किया है तथा साक्षी अविनाश यादव (अ.सा.12) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि पुलिस वालों ने इसके समक्ष कोई जप्ती कार्यवाही नहीं किया था । इस प्रकार अभियोजन द्वारा बताई गई तथाकथित जप्ती कार्यवाही का अभियोजन के उक्त साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है ।

17- साक्षी/आहत सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) ने घटना दिनांक को आरोपी से वाद विवाद होने पर उसे लडाई झगडे मे नीचे पत्थर पर गिर जाने से सिर मे चोट आने का कथन किया है और आरोपी के द्वारा अपने वाहन को पीछे करते समय इसकी मॉ साक्षी राजकुमारी (अ.सा.2) का पैर गाडी के पिछले चक्के मे आने से इसकी मॉ राजकुमारी (अ.सा.2) का पैर टूट जाने और शरीर मे जल जाने का कथन किया है । इसी प्रकार का कथन साक्षी/आहत राजकुमारी (अ.सा.2) ने भी किया है। साक्षी/आहत राजकुमारी

(अ.सा.2) ने भी आरोपी और इसके पुत्र के बीच वाद विवाद होने और आरोपी के गाडी से भागने पर इसके पैर मे साइलेंसर से जल जाने का कथन किया है ।

18- साक्षी/आहत सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) एवं आहत राजकुमारी (अ.सा.2) के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे आरोपी के विरुद्व कोई कथन नहीं करने से अभियोजन ने इन दोनो साक्षियों/आहतों को पक्षद्रोही घोषित किया है, तदोपरांत सुझाव दिये जाने पर भी आहतगण ने आरोपी के विरुद्व कोई कथन नहीं किए हैं ।

19- साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3) जो कि आहत सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1)का पिता है, ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि यह रात को नाईट ड्यूटी करने पीआईएल गया था तब इसे फोन से पता चला कि लडाई झगडा हो रहा है, तब इसने ड्यूटी से वापस आकर देखा कि इसके पुत्र आहत सागर के सिर मे चोट लगी थी और इसकी पत्नी राजकुमारी के पैर मे चोट लगी थी । इसे घटनास्थल पर मुहल्ले के लोगों ने भी घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं दिया था । साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3) को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

20- इसी प्रकार साक्षी लखन दुबे (अ.सा.4) ने आहतगण को चोट आने का कथन किया है । परंतु आहतगण को चोट कैसे लगी इसकी जानकारी होने से इंकार किया है । इसी प्रकार साक्षी राजकुमार कश्यप (अ.सा.5) ने भी कथन किया है कि घटना दिनांक की रात्रि 11.30 बजे आहत सागर इसके घर आकर उसके पिता और वाहन 108 को बुलाने के लिए बोला था तब इसने आहतगण के सिर और पैर मे चोट देखी थी । लेकिन आहतगण ने चोट लगने के संबंध मे कुछ नहीं बताया था । साक्षी मोहम्मद सलीम (अ.सा.13) ने मुख्य

परीक्षण साक्ष्य मे घटना के संबंध मे कोई जानकारी नहीं होना बताया है ।

21- अभियोजन द्वारा साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3), साक्षी लखन दुबे (अ.सा.4), साक्षी राजकुमार कश्यप (अ.सा.5) एवं मोहम्मद सलीम (अ.सा.13) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, तदोपरांत सुझाव दिये जाने पर इन साक्षियों ने भी आरोपी के विरुद्व अभियोजन कहानी के अनुरुप दिये गये समस्त सुझावों को इंकार किया है ।

22- इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह दर्शित होता है कि साक्षी डॉ.सरिता नागरची (अ.सा.11), साक्षी डॉ.प्रफुल्ल चौहान (अ.सा.10), आहतगण सागर अग्निहोत्री (अ.सा.1) एवं राजकुमारी (अ.सा.2) तथा साक्षी राकेश अग्निहोत्री (अ.सा.3), लखन दुबे (अ.सा.4) एवं राजकुमार कश्यप (अ.सा.5) की साक्ष्य से आहतगण को घटना दिनांक को चोटें आने का तथ्य प्रमाणित होता है । परंतु उपरोक्त चोटें आरोपी के द्वारा कारित करने के संबंध मे अभियोजन साक्षियों ने कोई कथन नहीं किए हैं । यहां तक कि आहतगण ने भी अभियोजन कहानी के अनुरुप आरोपी के विरुद्व कोई कथन नहीं किये हैं । इसी प्रकार मेमोरंडम प्र.पी.10 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.11 एवं प्र.पी.12 के साक्षी गोविंद यादव (अ.सा.6) एवं गोविंद कुर्रे (अ.सा.8) ने भी आरोपी से किसी भी वस्तु की जप्ती होने से सर्वथा इंकार किया है ।

23- इस प्रकार संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि आरोपी ने उपरोक्त घटना दिनांक व समय पर आहत सागर अग्निहोत्री को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रतिबंधित हथियार लोहे की तलवार से मारपीट कर तथा आहत राजकुमारी को वेगन

आर कार से ठोकर मारकर उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया ।

24- परिणामतः आरोपी को धारा 294,506 भाग-2, 307(दो बार) भा.द.सं. एवं धारा 25(1)(1-ख)(ख)एवं 27(2) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25- प्रकरण में जप्तशुदा वेगन आर कार क्रमांक CG-11-AX 5121 अपील अवधि पश्चात उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जाये तथा प्रकरण मे जप्त अन्य वस्तुयें तलवार, मेक्सी कपडा, खून आलूदा एवं सादी मिट्टी, टूटा हुआ कंगन व चूडी के टुकडे आदि मूल्यहीन होने से अपील नहीं होने की दशा मे अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये ।

26- आरोपी इस प्रकरण मे दिनांक 28.06.2022 से दिनांक 23.09.2022 तक (कुल 88 दिन) न्यायिक अभिरक्षा मे रहा है, इस संबंध मे धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर घोषित किया गया।

Sd/-
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

Sd/-
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)